**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 3098

उत्‍तर देने की तारीख: 22.03.2018

**मध्याह्न भोजन योजना के लिए बने खाद्यान्न की चोरी**

3098. श्री राजकुमार धूत:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश के स्कूलों में कार्यान्वित की जा रही मध्याह्न भोजन योजना के लिए खराब गुणवत्ता के खाद्यान्न की आपूर्ति के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तथा राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान मध्याह्न भोजन के लिए बने खाद्यान्न की चोरी के संबंध में भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने शिकायतों पर क्या कार्यवाही की है और अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा खाद्यान्न की चोरी रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव रखती है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री उपेन्‍द्र कुशवाहा)**

(क) और (ख): मध्‍याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) में खराब गुणवत्‍ता के खाद्यान्‍नों की आपूर्ति के संबंध में विगत तीन वर्षों के दौरान कोई विशेष शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है। तथापि, इसी अवधि के दौरान 21 राज्‍यों और संघ राज्‍यक्षेत्रों से खराब गुणवत्‍ता का मिड डे मील परोसे जाने की कुल 73 शिकायते प्राप्‍त हुई हैं।

(ग) से (ड.): विगत तीन वर्षों के दौरान मध्‍याह्न भोजन योजना के अंतर्गत खाद्यान्‍न की चोरी के संबंध में कोई विशेष शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है। हालांकि, उक्‍त अवधि के दौरान 27 राज्‍यों और संघ राज्‍यक्षेत्रों से दुरूपयोग, खराब गुणवत्‍ता और अनियमितिओं के संबंध में कुल 219 शिकायतें प्राप्‍त हुई हैं। इन शिकायतों पर उपयुक्‍त कार्रवाई करने के लिए इन्‍हें संबंधित राज्‍यों और संघ राज्‍यक्षेत्रों को भेजा गया है। राज्‍य सरकारों और संघ राज्‍यक्षेत्र प्रशासनों ने दोषी व्‍यक्तियों और संस्‍थाओं के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्‍मक कार्रवाई, स्‍थानांतरण, निलम्‍बन और आपराधिक कार्रवाई शुरू करने जैसे कदम उठाए हैं।

सरकार ने योजना के तहत बच्‍चों को गुणवत्‍तायुक्‍त भोजन परोसे जाने तथा उसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने और भोजन की चोरी रोकने के लिए केन्‍द्र, राज्‍य और जिला स्‍तरों पर एक व्‍यापक निगरानी तंत्र स्‍थापित किया है। एमडीएम दिशानिर्देश यह व्‍यवस्‍था करते हैं कि भारतीय खाद्यान्‍न निगम (एफसीआई) उपलब्‍ध सर्वोत्‍तम गुणवत्‍ता के खाद्यान्‍न भेजेगा जो किसी भी स्थिति में कम से कम उचित औसत गुणवत्‍ता (एफएक्‍यू) के होने चाहिएं। एफसीआई ने एमडीएम कार्यक्रम के तहत खाद्यान्‍नों की आपूर्ति से संबंधित विभिन्‍न समस्‍याओं को हल करने हेतु प्रत्‍येक राज्‍य में एक नोडल अधिकारी भी नियुक्‍त किया है। जिला कलेक्‍टर/जिला पंचायत के मुख्‍यकार्यकारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कलेक्‍टर/जिला पंचायत के मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी के नामित व्‍यक्तियों और एफसीआई के प्रतिनिधियों के एक दल द्वारा संयुक्‍त निरीक्षण करने के बाद एफसीआई द्वारा भेजे जाने वाले खाद्यान्‍न कम से कम एफएक्‍यू गुणवत्‍ता के हों। निकटतम एफसीआई डिपो से प्रत्‍येक स्‍कूल तक खाद्यान्‍नों को पहुंचाने हेतु परिवहन की व्‍यवस्‍था करने का दायित्‍व राज्‍य सरकारों और संघ राज्‍यक्षेत्रों का है। वे किसी एक सरकारी/अर्ध-सरकारी एजेंसी को राज्‍य नोडल परिवहन एजेंसी के रूप में अधिकृत कर सकते हैं। एफसीआई गोदामों से खाद्यान्‍नों को उठाने और उन्‍हें तालुका/ब्‍लॉक स्‍तरों के अधिकृत प्राधिकरणों को सुपुर्द करने का दायित्‍व इस एजेंसी का है। तालुका/ब्‍लॉक स्‍तर से प्रत्‍येक स्‍कूल तक खाद्यान्‍नों को समय पर पहुंचाना, इत्‍यादि को सुनिश्चित करने के लिए राज्‍य सरकारों को भी पुख्‍ता इंतजाम करने की आवश्‍यकता है। वैकल्पिक रूप से राज्‍य की विभिन्‍न जिला/तालुका या जिला समूहों का दायित्‍व जिला/तालुका पंचायतों को सौंपा जा सकता है।

**\*\*\*\*\***